न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

करण संख्या: 37 / 22 दायर दिनांक: 08.04.2022

सीएमएस नं. 2022 / 91

उनवान

। सुभाष पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी दीवली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 बुधराम 2 गिरधारी 3 रूपी पुत्रान धनपाल 4 अर्जुन 5 गंगाराम 6 रामकिशोर पुत्रान हरभजन 7 कलावती पुत्री हरभजन पत्नि हरी जाति मीना निवासी मालपुर तहसील भुसावर 8 चमेली पुत्री सीताराम पत्नि धर्मसिंह 9 प्रेम पुत्री सीताराम पत्नि कुंवरसिंह जाति मीना निवासी ऐदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली 10 रामेश्वर पुत्र रामदेव जाति मीना निवासी दीवली तहसील भुसावर 11 मंजू पत्नि जयनारायण जाति मीना निवासी दीवली 12 अशोक पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी दीवली 13 राजाराम पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी दीवली 14 रोहिताश पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी दीवली 15 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री छोटेलाल मीना ––वादी
2 श्री आर.डी.शर्मा ––प्रति.सं. 1 लगा. 5,13
3 श्री लेखराज चौधरी ––प्रति.सं. 11,12,14

निर्णय दिनांक 26 / 05 / 2026

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.54 हैक्टे. वाके ग्राम उहलू तह. भुसावर कुल किता 01 कुल रकबा 0.54 हैक्टे. है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 मुताविक जमाबंदी संवत् 2075–78 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तथा इसी प्रकार से वादी एवं प्रतिवादीगण राज लगान राज सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाई मीट्स एण्ड वाउन्ड नही हुआ है। लेकिन मनवट के आधार पर आराजी का विभाजन करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु प्रतिवादी नं 01 लगायत 14 बहुत चतुर व चालाक किस्म के लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्ति है जिन्होने वाके उहलू में स्थित आराजी में वादी को एक इंच जमीन का उपयोग नही करने दे रहे है और ना ही उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करने देते है और वादग्रस्त आराजी में से अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल कर वादी को अच्छी व मौके की आराजी बेदखल करना चाहते है जबकि वादी के हिस्से की आराजी के बाबत् प्रतिवादीगण को कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि हम तो अच्छी–2 व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियों के लिये रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए तुझको बेदखल कर आराजी से महरूम कर

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

देंगें और तुझे ग्राम उहलू की आराजी में से एक इंच जमीन नहीं देंगें एवं आराजी का उपयोग व उपभोग में शान्ति पूर्वक नहीं करने देंगें। अतः वादी, प्रतिवादीगण के मध्य आराजी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का कानूनी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5, 13 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री आर.डी.शर्मा एड. द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 11,12,14 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री लेखराज चौधरी एड. पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9,10 की ओर से बाद तामील कोई उपस्थित नही आया। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उभय पक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/एल. आर./2026/2286 दिनांक 22.05.2026 द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के पत्रांक/एल.आर./2026/2286 दिनांक 22.05.2026 अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) ज०